अनुबंध II

करार का फॉर्म

डीएडी 297
पैरा 7.50

माल के निर्यात के लिए बैंक-वित्त के संबंध में उधार लेने हेतु अनुसूचित बैंक के प्रधान कार्यालय से प्राप्त किये जाने वाले करार का फ़ॉर्म (प्रत्येक राज्य में लागू कानून अनुसार करार के रूप में मुद्रांकित किया जाए)

भारतीय रिज़र्व बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (3 ए) के अंतर्गत और दिनांक 20 जनवरी 1969 के परिपत्र डीबीओडी सं.बीएम.78/सी. 297 (एम) - 69 के साथ संलग्न ज्ञापन में निहित शर्तों पर समय-समय पर आपके विवेकानुसार अग्रिम देने के लिए आपके सहमत होने पर, जो अग्रिम किसी भी अवसर पर रु._____ (ब्याज को छोड़कर) से अधिक नही होंगे, जिसके लिए हमने यहाँ इसके बाद उल्लिखित दर से ब्याज वाला, आपके पक्ष में लिखा हुआ एक मांग वचन-पत्र आपको सुपुर्द किया है। अग्रिम मांग पर प्रतिदेय होगें एवं आपके द्वारा निर्धारित फार्मों में घोषणा के आधार पर दिए जाएंगे। हम निम्नानुसार सहमत हैं :

(1) उक्त अग्रिमों की किसी भी समय बकाया शेष राशि मांगने पर हमारे द्वारा आपको प्रतिदेय हेगी ।

(2) इस करार के अंतर्गत अग्रिमों के प्रत्येक आहरण की परिपक्वता अवधि 180 दिन से अधिक की नहीं होगी एवं वह उक्त अवधि के भीतर हमारे द्वारा प्रतिदेय होगा ।

(3) हमारे द्वारा आपको देय ब्याज मासिक अंतरालों पर, समय-समय पर आपके द्वारा अधिसूचित दर पर होगा और दैनिक शेष रशियों पर गणना किये गये इस प्रकार के ब्याज की राशि प्रत्येक संबंधित महीने के अंत में अथवा पहले, जब बकाया शेष राशि चुकता हो जाती है, उक्त अग्रिमों के खाते में नामे डाल दी जाए। इस बात का आपको अधिकार होगा कि आप अपने पास रखे गये हमारे चालू खाता में से इस प्रकार की नामे डाली गई ब्याज की राशि की स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकेंगे ।

(4) हम इस बात से सहमत हैं कि यहाँ दिये गये खंड (1) और (2) की शर्तों के अंतर्गत राशि की चुकौती में कोई चूक होने की स्थिति में, आप ऐसा करने के लिए किसी बाध्यता के बिना, उक्त अधिनियम की धारा 17 (3ए) के अनुसार, मंजूर किये गये अग्रिम ऋण की राशि में से, हमारे द्वारा देय राशि को आपके पास रखे गये हमारे चालू खाते में नामे डाल सकते हैं।

(5) हम इस बात से सहमत हैं और वचन देते हैं कि निर्यातकों अथवा पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य व्यक्तियों को भारत से बाहर माल भेज जा सकने के लिए हमारे द्वारा मंजूर किये गये और किसी भी समय आहरित एवं बकाया ऋण अथवा अग्रिम हमारे द्वारा आपसे लिये गये ऋण अथा अग्रिम की बकाया राशि से कम नहीं होंगे। इसके अलावा, हम इस बात से भी सहमत हैं कि आपके पक्ष में ऐसा मार्जिन बनाये रखेंगे जो आप समय-समय पर निर्धारित करेंगे ताकि उसमें निर्धारित मार्जिन में कमी होने पर, हम आपके द्वारा मांग किए जाने पर तुरंत नकद भुगतान द्वारा आपको देय शेष राशि में कमी कर देंगे ताकि अपेक्षित मर्जिन की राशि रखी जा सके।

(6) हम इस बात से भी सहमत हैं कि इन अग्रिमों के जारी रहते हुए जब भी कभी आप द्वारा मांग की जाएगी, पुनर्वित्त के लिए पात्र वस्तुओं के निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के बारे में तथा उधारकर्ताओं की ऋण-चुकौती-क्षमता के बारे में आपके द्वारा निर्धारित किये अनुसार सत्य रिपोर्टें आपको प्रस्तुत की जाएंगी तथा इस प्रकार के किसी उधारकर्ता की स्थिति में किसी ऐसे परिवर्तन के बारे में, जो हमारी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने वाला समझा जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा।

(7) हम एतदद्वारा ऐसे दस्तावेज आपकी मांग पर आपके पक्ष में निष्पादित करने के लिए सहमत हैं जिससे पुनर्वित्त के लिए पात्र वस्तुओं के निर्यात के संबंध में हमारे द्वारा दिये गये अग्रिमों के रूप में हमारे बही ऋण समग्र रूप से आपके प्रभार में आ जाए अथवा आपके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) आपके कब्जे में रहे तकि वह किसी भी समय आपके द्वारा बेची जा सके अथवा अंतरित की जा सके।

(8) हम निम्नलिखित मामलों में सहमत हैं और वचन देते हैं कि आप द्वारा निर्धारित उच्चतर दर पर ब्याज अदा करेंगे; जहाँ

(ए) अनुमत सीमा से अधिक निर्यात ऋण पुनर्वित्त का उपयोग किया गया हो,

(बी) पुनर्वित्त सीमाओं की गणना अथवा रिपोर्टिंग गलत ढंग से की गई हो,

(सी) हमारे खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण 180 दिन से अधिक की अवधि तक निकासियां (ड्राअल्स) बकाया रही हो,

(डी) विलंब की अवधि के लिए, हमारे द्वारा अधिक अथवा अनियमित उपयोग के बारे में रिपोर्ट करने में अधिक विलंब किया गया हो।

(9) हम इस बात से भी सहमत हैं कि यह करार और रु. _____ का उक्त मांग वचन पत्र किसी भी समय जमा-शेष की स्थिति अथवा किसी आंशिक भुगतान अथवा खातों में घट-बढ़ अथवा प्रतिभूति के किसी भाग के वापस ले लिए जाने के बावजूद उक्त अग्रिम के लिए एक निरंतर जमानत के रूप में कार्य करेगा ।

भवदीय

_____ के लिए और की ओर से
(अनुसूचित बैंक का नाम)
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
(पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

डीएडी 295 ए

(पत्रशीर्ष पर)

मांग वचन पत्र

(निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा)

मांगे जाने पर, हम (बैंक का नाम), भारतीय रिज़र्व बैंक को, या आदेश पर रु._____ (रुपये_____) प्राप्त मूल्य के लिए, पूर्ण चुकौती के समय अथवा मासिक अंतरालों पर, जो भी पहले होगा, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के लिए यथा घोषित रिपो दरों पर ब्याज सहित अदा करने का वचन देते हैं।

_____ के लिए और की ओर से

स्थान :

दिनांक :

(2 हस्ताक्षरी और रसीदी टिकट)
दोनों हस्ताक्षरियों के नाम और पदनाम

डी ए डी - 298

पैरा 7.71

निदेशक मंडल के संकल्प का नमूना

बोर्ड़ की - - - - - - - - को आयोजित बैठक में पारित बोर्ड संकल्प सं. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - की एक प्रति

"संकल्प किया जाता है कि

(i) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (3ए) के तहत निर्यात बिल ऋण योजना और/अथवा पोत-लदानपूर्व ऋण योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली शर्तों पर तथा अनुमोदित सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण ले;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक करार, ऋण दस्तावेज, घोषणाएं, विवरण तथा प्रमाणपत्र तथा अन्य ऐसे लिखत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में मांगे जाने वाले दस्तावेजों को बैंक की ओर से निष्पादित करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों को एतदद्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।

फॉर्म 'डी'

डी ए डी- 299

दिनांक :

भारतीय रिज़र्व बैंक
जमा लेखा विभाग
मुंबई - 400 001

प्रिय महेदय

दिनांक - - - - - - - - - - - - - - - - - - -के करार के संदर्भ में उसमें विनिर्दिष्ट रु. - - - - - - - - - - - - - (रुपये -) को बढ़ाकर रु.- - - - - - - - - - - -(रुपये - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) की एक नयी सीमा के लिए आपके सहमत होने पर, जिस राशि के लिए मासिक अंतरालों पर देय - - - - -- - - वार्षिक ब्याज दर वाला एक समेकित मांग वचन - पत्र हमने आपको दिया है, हम इस बात से सहमत हैं कि उक्त करार की सभी शर्तें नयी सीमा पर तथा उसके संबंध में रु.-- - - - - - - - - -(रुपये -) के समेकित मांग वचन पत्र और उसके अंतर्गत दिये गये अग्रिमों पर उसी रूप में लागू होंगी जैसी कि वे रु.- - - - - - - -(रुपये -- - - - - - - - - - - - - - - - - - की सीमा पर और उसके संबंध में मांग वचन पत्र और उसके अंतर्गत दिये गये अग्रिमों पर लागू होती है।

भवदीय,

के लिए और की ओर से
(अनुसूचित बैंक का नाम)